

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1005/2014/जोधपुर
मैसर्स गजानन्द कन्सट्रक्शन कम्पनी
गमानारामजी का बेरा, बरडिया, जोधपुर

अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी
वर्क्स कान्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, जोधपुर

प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित

श्री पी.एम.चौपडा

अभिभाषक

श्री जमील जई

राजकीय उप अभिभाषक

निर्णय दिनांक : 10.08.2015

अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, जोधपुर-प्रथम, वाणिज्यिक कर जोधपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा गया है) के द्वारा अपील संख्या 48/आरवैट/जेयूई/13-14 में पारित किये गये आदेश दिनांक 29.04.2013 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स कान्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, जोधपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2010-11 के लिये वेट अधिनियम की धारा 22 व 21 के तहत पारित किये गये पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 10.01.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के वर्ष 2010-11 के लिये वेट अधिनियम की धारा 22 एवं 21 के तहत कर निर्धारण आदेश क्रमशः दिनांक 10.01.2013 को पारित करते हुए व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि के विवरण प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के आधार पर वेट अधिनियम की धारा 21 सपठित नियम 19ए के तहत विलम्ब शुल्क रुपये 5,000/- का आरोपण किया गया। अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपील, अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन अदेश दिनांक 29.04.2013 से अस्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 21 सपठित नियम 19ए के तहत शास्ति आरोपित किये जाने से पूर्व अपीलार्थी व्यवहारी को शास्ति आरोपण बाबत विशिष्ट नोटिस जारी नहीं किये जाने के कारण शास्ति का आरोपण प्रथम दृष्टया विधिविरुद्ध किया गया था। जबकि

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 48 अनुसार कोई भी आदेश पारित किये जाने से पूर्व व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। अपीलीय अधिकारी ने भी उक्त विधिक स्थिति को नजरअंदाज करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार किये जाने में त्रुटि की है। इसके अतिरिक्त विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी फर्म तीन वर्षों से कोई कार्य नहीं कर रही है इसलिए विभागीय निर्देशों के अनुसार पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त किया जाना चाहिए, जो नहीं किया गया है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने नियम 19 (ए)(ii) के अन्तर्गत विलम्ब शुल्क रु. 5000/- आरोपित किया है, जो अवैधानिक एवं अविधिक है। उनका कथन है कि नियम 19 (ए)(ii) के अन्तर्गत स्पष्ट किया गया है कि दिनांक 01.04.2011 से पूर्व की विवरणी पूर्व प्रावधानों, प्रक्रिया एवं निर्धारित प्रपत्र प्रस्तुत किये जा सकते हैं। उनका यह भी कथन है कि राज्य सरकार की मंशा यही रही है कि नये प्रावधानों को लागू करने से पूर्व वर्षों की विवरणी को पूर्व प्रावधानों के अनुसार ही किया जावे तथा पूर्व प्रावधानों के अनुसार विलम्बता पर शास्ति आरोपित की जावे। उनका कथन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(1) का उल्लंघन करते हुए कर निर्धारण अधिकारी ने विलम्ब शुल्क आरोपित किया है। उन्होंने अपीलीय अधिकारी के स्तर पर उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों को दोहराते हुए तथा उक्त के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार कर, कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों को अपास्त करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी व कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि के विवरण प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 21 सपटित नियम 19ए के तहत विलम्ब शुल्क का आरोपण विधि अनुसार किया गया था, जिसकी पुष्टि किये जाने में अपीलीय अधिकारी ने कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। उक्त कथन के समर्थन में राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा अपील संख्या 259/2014/जोधपुर मैसर्स मांगीलाल मघाराम, फलौदी, जोधपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स कान्स्ट्रैक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, जोधपुर निर्णय दिनांक 2214/2010/सिरोही वाणिज्यिक कर अधिकारी, सिरोही बनाम मैसर्स शिवकरण दास मुकुन्दीलाल जैन एजेन्सीज, आबूरोड निर्णय दिनांक 29.08.2011 को उद्धृत करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2010-11 के लिये पारित किये गये आदेश क्रमशः दिनांक 13.03.2012 में विवरण प्रपत्र प्रस्तुत

नहीं किये जाने के कारण वेट अधिनियम की धारा 21 सपठित नियम 19ए के तहत विलम्ब शुल्क का आरोपण किया है।

इस सम्बन्ध में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 19ए का अवलोकन किया जाना समीचीन होगा, जो निम्न प्रकार है :-

Rule 19A - where a dealer furnishes the return after the prescribed time, he shall pay a late fee of :

- (i) rupees one hundred per day subject to a maximum of rupees fifty thousand in case the dealer is required to pay tax for each month or part thereof under section 20 of the Act; and
- (ii) rupees fifty per day subject to a maximum of rupees five thousand, in all other cases.

माननीय उच्चतम न्यायालय के मायारानी पुंज के निर्णय (1986) 157 आई.टी. आर. 330 के अनुसार विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब के बिन्दु पर शास्ति आरोपण के विषय में विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने में चालू रहने वाला व्यतिक्रम उस दिन समाप्त होता है, जिस दिन विवरण प्रपत्र प्रस्तुत किया जाता है या जिस दिन कर निर्धारण आदेश पारित किया जाता है। विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब हेतु शास्ति के प्रावधान व्यतिक्रम समाप्त होने वाले दिन जो प्रभावशील है, वे लागू होंगे। विलम्ब के परिणामस्वरूप भुगतान योग्य दायित्व किसी भी नाम से होने पर यह सिद्धान्त लागू होता है। अतः इस आधार पर विलम्ब शुल्क जमा कराने का दायित्व Consequential Quantification किये जाने योग्य है।

बिक्री विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम करना निरन्तरता को प्राप्त एक व्यतिक्रम है। यह व्यतिक्रम विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने की विहित अंतिम तिथि से प्रारम्भ होता है तथा जिस तिथि को विवरण प्रपत्र प्रस्तुत किया जाता है, उस तिथि को व्यतिक्रम समाप्त होता है। जिस तिथि को निरन्तर रहने वाला व्यतिक्रम समाप्त होता है, उस दिन जो विलम्ब शुल्क के प्रावधान प्रभावी हैं, उस विलम्ब शुल्क के प्रावधान के अनुसार विलम्ब शुल्क की राशि Quantify की जावेगी।


अपीलार्थी व्यवहारी को नियम 19ए की पालना में विहित लेट फीस का भुगतान करना है। यह लेट फीस विहित समयवधि के पश्चात विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने की परिस्थिति में Consequential (पारिणामिक) प्रभाव का परिणाम है। लेट फीस स्वमेव पारिणामिक दायित्व है जिसकी गणना उसके कर जमा कराने की श्रेणी के आधार पर की जायेगी। नियम 19ए के प्रावधानों के अनुसार मासिक कर दाता की

श्रेणी में होने पर यह विलम्ब शुल्क अधिकतम रूपये 50,000/- होगी तथा मासिक करदाता की श्रेणी में नहीं होने पर लेट फीस अधिकतम रूपये 5000/- होगी।

अपीलार्थी व्यवहारी मासिक करदाता की श्रेणी में नहीं आता है, अतः उक्त प्रावधानों अनुसार अधिकतम रूपये 5000/- विलम्ब शुल्क आरोपणीय है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा भी रूपये 5000/- विलम्ब शुल्क का आरोपण किया गया है, जिसकी अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने में कोई विधिक त्रुटि किया जाना दृष्टिगोचर नहीं होता है।

परिणामस्वरूप अपीलीय आदेश एवं कर निर्धारण आदेश की पुष्टि करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(सुनील शर्मा)
सदस्य